

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 585 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 नवम्बर 2022—कार्तिक 13, शक 1944

पशुपालन एवं डेयरी विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3/4 नवम्बर 2022

क्र. एफ.एन.-3-3-4-0002-2022-Sec-1-पैतीस (ANH).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विभाग के आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 1979 की अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

#### संशोधन

उक्त नियमों में, अनुसूची में, अनुक्रमांक 44 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां जोड़ी जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“45	अंशकालीन स्वच्छकार	1028	चतुर्थ श्रेणी	संचालक, पशुपालन एवं डेयरी/संयुक्त संचालक/ उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं.

No. F. N.-3-3-4-0002-2022-Sec-1-XXXV (ANH).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, make the following amendment in the

Madhya Pradesh Veterinary Department Contingency paid Employees Recruitment and Condition of Service Rules. 1979, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in the Schedule, after serial number 44, the following serial number and entries thereto, shall be added, namely:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"45.	Part time Sweeper	1028	Class-IV	Director, Animal husbandry & Dairy/Joint Director/Deputy Director, Veterinary Services.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
जे. एन. कांसोटिया, अपर मुख्य सचिव.